कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड

बनाम

के ए नागमणि

(सिविल अपील संख्या-4631/2019)

06 मई 2019

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार, 2019 की सिविल अपील संख्या 4631

दिल्ली हाईकोर्ट के डब्लू.पी.सी. नं0-1746/2018 के दिनांक- 13.11.2018 के निर्णय एवं आदेश से

शैलेन्द्र मडियाल, मृगंक प्रभाकर, सुधांशु प्रकाश, अपीलार्थी की ओर से वकील

प्रतिवादी स्वंय,

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

**इंदु मल्होत्रा, न्यायाधीश** अनुमोदन स्वीकृत

1. वर्तमान सिविल अपील एक उपभोक्ता विवाद में राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश से प्रतिवादी-शिकायतकर्ता द्वारा शुरू की गई निष्पादन कार्यवाही से उत्पन्न होती है। विचार के लिए जो मुद्दा उठा है वह यह है कि क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (इसके बाद "1986 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 21 (बी) के तहत राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश का पुनरीक्षण याचिका राष्ट्रीय विवाद निवारण आयोग (इसके बाद राष्ट्रीय आयोग संदर्भित) के समक्ष विचारणीय है ।

2. तथ्यात्मक क्रम जिसमें वर्तमान क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दा उठाया गया है, इस प्रकार है:

2.1. प्रतिवादी - शिकायतकर्ता ने केंगेरी, बैंगलोर में स्व-वित्तपोषण आवास योजना के तहत एक एचआईजीबी फ़्लैट के आवंटन के लिए आवेदन किया था। अपीलकर्ता - कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड (इसके बाद "बोर्ड" के रूप में संदर्भित) ने दिनांक 25.03.1992 के पत्र के माध्यम से प्रतिवादी - शिकायतकर्ता को पहली मंजिल पर फ़्लैट नंबर 116, टाइप बी आवंटित किया। बोर्ड ने दिनांक 23.04.1992 को एक अनंतिम आवंटन पत्र जारी किया जिसमें प्रतिवादी-शिकायतकर्ता को सूचित किया गया कि फ़्लैट की लागत 3,15,000 रुपये थी जिसका भुगतान निर्दिष्ट किश्तों में किया जाना था।

यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रतिवादी-शिकायतकर्ता ने कुल रु. 2,67,750 रु. की राशि चार किश्तों में जमा की ।

2.2. बोर्ड ने दिनांक 24.06.1995 को पत्र जारी किया जिसके तहत प्रतिवादी - शिकायतकर्ता को पहले वाले फ़्लैट के बदले में, जिसके लिए अनंतिम आवंटन किया गया था एक और फ़्लैट आवंटित किया गया था । प्रतिवादी - शिकायतकर्ता को सूचित किया गया कि फ़्लैट की कीमत रु. 5,90,000/-. । चूंकि प्रतिवादी – शिकायतकर्ता बोर्ड द्वारा मांगी गई अंतिम लागत का भुगतान करने को तैयार नहीं थी, उसने अपने द्वारा जमा की गई राशि की वापसी की मांग की।

2.3. बोर्ड ने 3,937 रुपये काटने के बाद 2,63,813 रुपये प्रतिवादी / शिकायकर्ता को वापस कर दी है ।

2.4. प्रतिवादी - शिकायतकर्ता ने बोर्ड को एक अभ्यावेदन देकर कटौती की गई राशि की वापसी और प्रत्येक किस्त के भुगतान की तारीख से धन वापसी की तारीख तक जमा की गई पूरी राशि पर 27% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने की मांग की।

हालाँकि, बोर्ड ने प्रतिवादी - शिकायतकर्ता की मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

2.5. प्रतिवादी - शिकायतकर्ता ने अधिनियम की धारा 2(1)(सी)(iii) के तहत सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए एक उपभोक्ता शिकायत जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, बैंगलोर के समक्ष दर्ज की और मुआवजे के लिए प्रार्थना की।

जिला फोरम ने आदेश दिनांक 21.12.2006 के तहत शिकायत को स्वीकार कर लिया और जमा की गई राशि 267750/- पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान संबंधित किश्तें जमा करने की तिथि से वसूली की तिथि तक करने का निर्देश दिया । बोर्ड को 3,937 रुपये की राशि वापस करने का भी निर्देश दिया गया। प्रतिवादी-शिकायतकर्ता को यह निर्देश दिया गया कि राशि का भुगतान आदेश की तारीख से 45 दिनों के भीतर किया जाए।

2.6. दिनांक 21.12.2006 के आदेश के तहत जिला फोरम द्वारा दिए गए मुआवजे से असंतुष्ट होने पर,

प्रतिवादी - शिकायतकर्ता ने कर्नाटक राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बैंगलोर के समक्ष 2007 की अपील संख्या 166 को प्राथमिकता दी।

राज्य आयोग ने दिनांक 06.02.2007 के आदेश के तहत प्रतिवादी - शिकायतकर्ता की अपील खारिज कर दी।

2.7. प्रतिवादी - शिकायतकर्ता ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष 2007 की पुनरीक्षण याचिका संख्या 1839 दायर की।

राष्ट्रीय आयोग ने दिनांक 04.08.2011 के आदेश के तहत पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया और जिला फोरम द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की।

2.8. प्रतिवादी - शिकायतकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष 2011 की एसएलपी (सिविल) संख्या 35226 - 35227 दायर की, जिसे अनुमति दी गई, और राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया। इस न्यायालय ने दिनांक 19.09.2012 के फैसले और आदेश के तहत अपीलकर्ता-बोर्ड को जमा की गई राशि 267750/- पर 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज जमा की तारीख से वसूली की तारीख तक देने का निर्देश दिया । 3,937 जो बोर्ड द्वारा काटा गया था उसे वापस करने सेवा में कमी के लिए मुआवजे के रूप में 50,000 रु. का भुगतान करे तथा प्रतिवादी-शिकायतकर्ता को मुकदमे की लागत के लिए 20,000 रु. आदेश । आदेश का मुख्य भाग तत्काल संदर्भ के लिए नीचे दिया गया है:

"उपरोक्त कारणों से, हम अपील की अनुमति देते हैं और निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं:

(i) प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह अपीलकर्ता शिकायतकर्ता को 2,67,750/- रुपये पर 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करे, जो कि संबंधित जमा की तारीख से वसूली की तारीख तक है और साथ ही 3,937/- रुपये की राशि वापस करने के निर्देश भी दिए जाएं जो उपभोक्ता फोरम के निर्देशानुसार है ।

(ii) प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह अपीलकर्ता शिकायतकर्ता को उनकी ओर से सेवा में कमी के लिए मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करे।

(iii) प्रतिवादी को अपीलकर्ता-शिकायतकर्ता को उसके द्वारा किए गए मुकदमे की लागत के लिए 20,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया है।"

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.09.2012 के निर्णय और आदेश के तहत 'उपभोक्ता विवाद' पर अंततः निर्णय सुनाया गया, जिसने निर्णायक रूप से पार्टियों के अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित किया"

2.9. प्रतिवादी - शिकायतकर्ता ने जिला फोरम के समक्ष 2014 का निष्पादन आवेदन संख्या 2 दायर किया। प्रतिवादी - शिकायतकर्ता ने 358749/- रुपये की राशि के भुगतान का दावा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2012 के निष्पादन के लिये दावा किया । दोनों पक्षों ने जिला फोरम के समक्ष अपना गणना ज्ञापन प्रस्तुत किया। जिला फोरम ने आदेश दिनांक 16.08.2014 के तहत माना कि प्रतिवादी - शिकायतकर्ता द्वारा दायर गणना का मेमो आंशिक रूप से सही था, और अपीलकर्ता - बोर्ड को रुपये का अतिरिक्त 107057/- रु0 भुगतान करने का निर्देश दिया।

बोर्ड ने रुपये 107057/- रु0 का भुगतान ड्राप्ट दिनांक- 09.09.2014 से करके डिक्री को संतुष्ट किया।

2.10. 22.09.2014 को, प्रतिवादी - शिकायतकर्ता ने राज्य आयोग के समक्ष दिनांक 16.08.2014 के आदेश को चुनौती देते हुए, 1986 अधिनियम की धारा 15 के तहत 2014 की निष्पादन अपील संख्या 1238 दायर की।

राज्य आयोग ने दिनांक 01.03.2016 के आदेश के तहत प्रतिवादी - शिकायतकर्ता द्वारा दायर अपील की अनुमति दी, और 2014 के ईपी नंबर 2 में जिला फोरम द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2014 को रद्द कर दिया। यह निर्देश दिया गया कि 267750/- रुपये की राशि जो बोर्ड द्वारा पहले ही भुगतान किए गए को पहले ब्याज घटक के लिए और फिर मूल राशि के लिए विनियोजित किया जाएगा। राज्य आयोग ने आदेश के अनुपालन में नए सिरे से गणना के लिए मामले को जिला फोरम को भेज दिया।

2.11. राज्य आयोग के आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता-बोर्ड ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष 1986 अधिनियम के धारा 21(बी) के तहत एक पुनरीक्षण याचिका वर्ष 2016 की संख्या 1362 दाखिल की ।

प्रतिवादी - शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ता - बोर्ड द्वारा दायर संशोधन याचिका की स्थिरता को चुनौती देने के लिए 2017 का आईए नंबर 299 दायर किया।

बोर्ड द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को आदेश दिनांक 10.02.2017 द्वारा अनुमति दी गई थी। प्रतिवादी-शिकायतकर्ता द्वारा अपनाए गए रुख को योग्यता से रहित होने के कारण खारिज कर दिया गया।

2.12. प्रतिवादी - शिकायतकर्ता ने इसके बाद एमए संख्या वर्ष 2017 की 281 को वर्ष 2017 की आईए संख्या 299 को एक बड़ी पीठ के पास भेजने के लिए दाखिल किया; और आदेश दिनांक 10.02.2017 को अमान्य घोषित करने के लिए 2017 का एमए नंबर 282 दायर किया।

राष्ट्रीय आयोग ने दिनांक 02.02.2018 के आदेश के तहत प्रतिवादी-शिकायतकर्ता द्वारा दायर आवेदनों को खारिज कर दिया।

2.13. राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.02.2017 और 02.02.2018 से व्यथित होकर, प्रतिवादी - शिकायतकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2018 की WP (सिविल) संख्या 1746 दायर की।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 13.11.2018 के आक्षेपित फैसले के माध्यम से राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया और माना कि राष्ट्रीय आयोग के पास राज्य आयोग द्वारा निष्पादन कार्यवाही में पारित आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। यह माना गया कि प्रवर्तन कार्यवाही की प्रकृति उपभोक्ता विवाद के निर्णय की कार्यवाही से भौतिक रूप से भिन्न है। निष्पादन याचिका में पारित आदेश अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में राष्ट्रीय आयोग के समक्ष चुनौती के योग्य नहीं था।

2.14. दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.11.2018 से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील दायर की।

3. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि:

3.1. 1986 अधिनियम की धारा 21(बी) के तहत राष्ट्रीय आयोग के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका सुनवाई योग्य है । राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार व्यापक है, और इसका उद्देश्य राज्य आयोगों के समक्ष सभी कार्यवाहियों को शामिल करना है।

3.2. धारा 21(बी) का इरादा स्पष्ट रूप से राज्य आयोग के ऊपर राष्ट्रीय आयोग को पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार प्रदान करना है। धारा 21(बी) के तहत संदर्भ विशेष रूप से किसी भी उपभोक्ता विवाद में पारित आदेशों के लिए है जो पहले लंबित है, या किसी राज्य आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है।

3.3. 1986 अधिनियम की धारा 21(बी) के तहत वाक्यांश "उपभोक्ता विवाद" का अर्थ 1986 अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद से समझा जाना चाहिए।

3.4. निष्पादन कार्यवाही मूल कार्यवाही अर्थात उपभोक्ता शिकायत की निरंतरता है।

इस संबंध में डोक्कू भुशैय्या बनाम कटरागड्डा रामकृष्णय्या और अन्य में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया था ।1

4. दूसरी ओर, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए प्रतिवादी ने अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया कि:

4.1. निष्पादन कार्यवाही में पारित राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ, 1986 अधिनियम की धारा 21 (बी) के तहत एक पुनरीक्षण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है ।

4.2. आक्षेपित निर्णय हस्तक्षेप के योग्य नहीं है।

4.3. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3 में प्रावधान है कि अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके निरादर में। इसलिए, राष्ट्रीय आयोग सीपीसी द्वारा निर्धारित सीमा से आगे नहीं जा सकता। आदेश 45, सीपीसी का नियम 16 निष्पादन अपीलों में संशोधन पर रोक लगाता है।

4.4. निष्पादन याचिका को 'उपभोक्ता विवाद' की निरंतरता नहीं कहा जा सकता। धारा के अंतर्गत 'शिकायत' और 'उपभोक्ता विवाद' की परिभाषा। 2(1)(सी) और (ई) क्रमशः, 1 (1963) 2 एससीआर 499। निष्पादन कार्यवाहियों को शामिल करने के लिए इसकी व्यापक व्याख्या नहीं की जा सकती।

4.5. निष्पादन कार्यवाही में एक आदेश राज्य आयोग के समक्ष लंबित "उपभोक्ता विवाद" में एक आदेश नहीं है। प्रतिवादी-शिकायतकर्ता द्वारा दायर "उपभोक्ता विवाद" पर अंततः इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.09.2012 के निर्णय और आदेश द्वारा निर्णय सुनाया गया।

4.6. निष्पादन कार्यवाही में, निष्पादन फोरम के पास केवल आदेश XXI सीपीसी के अनुसार आदेश को 'निष्पादित' करने का अधिकार क्षेत्र है।

5. हमने दोनों पक्षों को सुना है और दायर दलीलों और लिखित प्रस्तुतियों का अवलोकन किया है।

6. वर्तमान अपील में हमारे विचार के लिए जो मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या एक पुनरीक्षण याचिका जो निष्पादन कार्यवाही से उत्पन्न अपील में राज्य आयोग द्वारा पारित 1986 अधि0 की धारा 21(बी) के तहत आदेश के खिलाफ है, राष्ट्रीय आयोग के समक्ष विचारणीय है ।

6.1. अपील की तरह पुनरीक्षण याचिका दायर करने का अधिकार क़ानून द्वारा प्रदत्त अधिकार है। 2 वैधानिक अनुमति के अभाव में, पुनरीक्षण दायर करने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है। धारा 21 राष्ट्रीय आयोग के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करती है जिसे यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है:

“21. राष्ट्रीय आयोग का क्षेत्राधिकार. इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आयोग का क्षेत्राधिकार

(ए) वहां होगा,

(i) जहां ऐसी शिकायतें जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य और मुआवजा, यदि कोई हो, दावा किया गया है, एक करोड़ रुपये से अधिक है; और

(ii) किसी राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील; और

(बी) किसी भी उपभोक्ता विवाद में रिकॉर्ड मंगाने और उचित आदेश पारित करने के लिए जो किसी राज्य आयोग के समक्ष लंबित है या जिस पर निर्णय लिया गया है, जहां राष्ट्रीय आयोग को यह प्रतीत होता है कि ऐसे राज्य आयोग ने कानून द्वारा निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया है, या इस प्रकार निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा है, या अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अवैध रूप से या भौतिक अनियमितता के साथ कार्य किया है।" (जोर दिया गया)

राष्ट्रीय आयोग ने:

(i) उन शिकायतों पर विचार करने का मूल अधिकार क्षेत्र जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक है;

(ii) किसी राज्य आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपील पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र; और

(iii) राज्य आयोग द्वारा लंबित या निर्णय किए गए किसी भी "उपभोक्ता विवाद" में किसी भी राज्य आयोग पर पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार, जिसे अधिकार क्षेत्र की कमी या अधिकता के आधार पर चुनौती दी जाती है।

6.2. धारा 21(बी) के अंतर्गत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रयोग एक उपभोक्ता विवाद तक सीमित है जो राज्य आयोग के समक्ष दायर किया गया है 1986 अधिनियम के धारा 21(बी) के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग राष्ट्रीय आयोग द्वारा केवल राज्य आयोग के समक्ष दायर "उपभोक्ता विवाद" के मामले में किया जा सकता है । राष्ट्रीय आयोग धारा 21(बी) के तहत अपने पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग राज्य आयोग द्वारा "उपभोक्ता विवाद" में पारित आदेशों की शुद्धता या अन्यथा के बारे में चिंतित है।

6.3. एक पुनरीक्षण याचिका का दायरा 'अपील' की तुलना में संकीर्ण होता है।

दत्तोनपंत गोपालवराव देवकाटे बनाम विट्ठलराव मारुतिराव जनगावल ,4 में इस न्यायालय ने "अपीलीय क्षेत्राधिकार" और "संशोधन क्षेत्राधिकार" के बीच अंतर पर इस प्रकार चर्चा की:

“2. 'अपील' और 'संशोधन' भारतीय क़ानून में सामान्य उपयोग की अभिव्यक्तियाँ हैं और 'अपीलीय क्षेत्राधिकार' और 'संशोधन क्षेत्राधिकार' के बीच अंतर अच्छी तरह से ज्ञात है, हालांकि अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है। आम तौर पर, अपीलीय क्षेत्राधिकार में कानून के साथ-साथ तथ्य पर भी दोबारा सुनवाई शामिल होती है और इसे एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा लागू किया जाता है। हालाँकि, ऐसा क्षेत्राधिकार किसी तरह से सीमित हो सकता है, उदाहरण के लिए, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दूसरी अपील के मामले में और कुछ राज्यों में कुछ किराया अधिनियमों के तहत किया गया है। आम तौर पर, फिर से, पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार अधीक्षण की शक्ति के अनुरूप होता है और कभी-कभी किसी पार्टी द्वारा इसका इस्तेमाल किए बिना भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार की सीमा ऐसे क्षेत्राधिकार प्रदान करने वाले क़ानून द्वारा परिभाषित की जाती है। पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार प्रदान करना आम तौर पर न्यायाधिकरणों को कानून के अनुसार, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार और न्याय के अच्छी तरह से परिभाषित सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने के लिए उनके अधिकार की सीमा के भीतर पुनरीक्षण न्यायाधिकरण के अधीन रखना” । (जोर दिया गया)

6.4. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम दिलबहार सिंह में इस न्यायालय के फैसले का भी संदर्भ दिया जाना चाहिए जिसमें यह कहा गया था कि:

“…वैचारिक रूप से, पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार अपीलीय क्षेत्राधिकार का एक हिस्सा है लेकिन यह इसके विपरीत नहीं है। अपीलीय क्षेत्राधिकार और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार दोनों ही क़ानून के प्राणी हैं। कार्यवाही में किसी भी पक्ष के पास अपील या पुनरीक्षण का अंतर्निहित अधिकार नहीं है। अपील, जैसा भी मामला हो, मुकदमे या मूल कार्यवाही की निरंतरता है। अपीलीय अदालत की शक्तियाँ ट्रायल कोर्ट के समान व्यापक हैं। आमतौर पर, अपीलीय क्षेत्राधिकार में तथ्यों और कानून पर दोबारा सुनवाई शामिल होती है, लेकिन ऐसा क्षेत्राधिकार क़ानून द्वारा ही सीमित हो सकता है जो अपीलीय क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। दूसरी ओर, पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार, हालांकि, अपीलीय क्षेत्राधिकार का एक हिस्सा है, लेकिन आमतौर पर इसकी तुलना पूर्ण अपील के साथ नहीं की जा सकती है।

दूसरे शब्दों में, पुनरीक्षण मुकदमे या मूल कार्यवाही की निरंतरता नहीं है। जब पुनरीक्षण न्यायालय की सहायता पुनरीक्षण पक्ष पर लागू की जाती है, तो यह क़ानून में प्रदान किए गए अनुमेय मापदंडों के भीतर हस्तक्षेप कर सकता है”। (जोर दिया गया)

6.5. आमतौर पर, पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब नीचे दिए गए मंचों की निर्णय लेने की प्रक्रिया में अवैधता, तर्कहीनता या अनुचितता पाई जाती है।

7. धारा के तहत राष्ट्रीय आयोग को प्रदत्त पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार। 21(बी) राज्य आयोग के समक्ष लंबित या निपटाए गए 'उपभोक्ता विवाद' के संबंध में है। 5 (2014) 9 एससीसी 78

7.1. वर्तमान मामले में, उपभोक्ता विवाद का अंतिम निर्णय इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.09.2012 के निर्णय और आदेश द्वारा पहले ही कर दिया गया था। मुकदमेबाजी का दूसरा दौर इस न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश के निष्पादन से शुरू हुआ।

7.2. 1986 अधिनियम की धारा 25 , जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित आदेशों के प्रवर्तन का प्रावधान करती है।

धारा 25(3) में कहा गया है:

25. जिला फोरम, राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोग के आदेशों का प्रवर्तन।

(3) जहां, जैसा भी मामला हो, जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा दिए गए आदेश के तहत किसी व्यक्ति पर कोई राशि बकाया है, राशि का हकदार व्यक्ति जिला फोरम, राज्य में आवेदन कर सकता है। आयोग या राष्ट्रीय आयोग, जैसा भी मामला हो, और ऐसा जिला फोरम या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग जिले के कलेक्टर (चाहे किसी भी नाम से जाना जाए) को उक्त राशि के लिए एक प्रमाण पत्र जारी कर सकता है और कलेक्टर आगे बढ़ेगा। भू-राजस्व के बकाया के समान ही राशि की वसूली करें।

प्रवर्तन के लिए पारित आदेश, 'उपभोक्ता विवाद' में आदेश नहीं होगा क्योंकि इसका अंतिम निर्णय अपीलीय मंच द्वारा किया जाता है, जिसने पार्टियों के अधिकारों और दायित्वों को निर्णायक रूप से निर्धारित किया है।

7.3. निष्पादन कार्यवाही की प्रकृति उपभोक्ता शिकायत के न्यायनिर्णयन की कार्यवाही की प्रकृति से भौतिक रूप से भिन्न होती है। निष्पादन की कार्यवाही स्वतंत्र कार्यवाही है। उपभोक्ता विवाद में अंतिम आदेश को लागू करने के लिए पारित आदेशों को 'उपभोक्ता विवाद' में पारित आदेश नहीं माना जा सकता है।

7.4. सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि निष्पादन कार्यवाही 'अपील' की निरंतरता है, और इसलिए इसे 'उपभोक्ता विवाद' की निरंतरता माना जाना चाहिए।

इस संबंध में सतगुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम ग्रेटर बॉम्बे को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर भरोसा रखा गया था । सतगुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम ग्रेटर बॉम्बे, को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, और रघुनाथ आर. शिंगटे बनाम जयंत गजानन पाठक और अन्य, और साथ ही मेसर्स पार्श्व प्रॉपर्टीज लिमिटेड बनाम एके बोस मे पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया जिसमें यह माना गया कि निष्पादन कार्यवाही मुकदमे की निरंतरता है।

7.5. दूसरी ओर, प्रतिवादी - शिकायतकर्ता ने गुंटुपल्ली राम सुब्बय्या बनाम गुंटुपल्ली राजम्मा में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ पर भरोसा जताया है, जिसमें यह माना गया था कि:

"निष्पादन कार्यवाही, हमारे विचार में, उस अर्थ में मुकदमे की निरंतरता के रूप में नहीं मानी जा सकती है जिसमें अपील में कार्यवाही को माना जाता है।" (जोर दिया गया)

7.6. मसोमात नर्मदा देवी और अन्य में पटना उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ । बनाम नंदन सिंह और अन्य ,10 ने इसी तरह माना है कि निष्पादन कार्यवाही को मुकदमे की निरंतरता के रूप में नहीं माना जा सकता है।

7.7. हम आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। निष्पादन की कार्यवाही, भले ही वे एक मुकदमे की कार्यवाही हों, उन्हें मूल मुकदमे की निरंतरता नहीं माना जा सकता है। निष्पादन की कार्यवाही डिक्री के निष्पादन के लिए अलग और स्वतंत्र कार्यवाही है। निष्पादन कार्यवाही के दौरान दावे या विवाद के गुण-दोषों पर विचार नहीं किया जा सकता है। वे मूल विवाद में पारित डिक्री को लागू करने के लिए डिक्री धारक द्वारा शुरू की गई स्वतंत्र कार्यवाही हैं।

7.8. निष्पादन कार्यवाही में राज्य आयोग द्वारा अपील में पारित आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर करने के लिए धारा 21 के तहत कोई उपाय प्रदान नहीं किया गया है । धारा 21(बी) निष्पादन कार्यवाही में राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय आयोग के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करने का प्रावधान नहीं करती है।

7.9. वर्तमान मामले में, राष्ट्रीय आयोग ने पुनरीक्षण याचिका 10 एआईआर 1987 पैट 33 पर विचार करके क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि की है। हम धारा 21(बी) अपीलकर्ता द्वारा दायर - निष्पादन कार्यवाही में राज्य आयोग के समक्ष दायर अपील के खिलाफ बोर्ड।

8. राष्ट्रीय आयोग ने गलती से संशोधन याचिका को धारा के तहत अनुमति दे दी। 21(बी) जो पोषणीय नहीं था। इसके अलावा, राष्ट्रीय आयोग ने दिनांक 19.11.2012 के आदेश के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को संशोधित किया, जिसमें इस न्यायालय ने बोर्ड को रुपये की मूल राशि पर 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया था। 2,67,750/ (जिसमें 3,937 रुपये की राशि शामिल है जो शुरू में बोर्ड द्वारा काटी गई थी)। राष्ट्रीय आयोग ने रुपये की राशि पर ब्याज प्रदान किया है। 3,937/ दो बार, पहले इसे रुपये की मूल राशि में शामिल करके। 2,67,750/; और उसके बाद रुपये की समान राशि पर 18% की दर से ब्याज देना। 3,937/, जो दोहरा भुगतान होगा।

9. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि करते हैं, जिसने राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया है कि राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश के खिलाफ एक

कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड बनाम के ए नागमणि

पुनरीक्षण याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी। निष्पादन कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली अपील। तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है।

अपील निष्पादित ।

आर. सिंह